भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1149

(जिसका उत्तर मंगलवार, 6 मार्च, 2018 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के उपबंधों के कार्यान्वयन की समीक्षा

1149. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित मौजूदा अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने की कोई योजना है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या कंपनियों द्वारा सीएसआर से संबंधित उपबंधों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों/उनकी अवहेलना करने वाली कंपनियों के मामले सामने आये हैं, यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख): जहां कहीं कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (8) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है। सरकार ने अब तक अधिनियम की धारा 134(3)(ण) के साथ पठित धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 199 कंपनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति प्रदान की है।

*****